विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 04/2013

उनवान

1. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री श्री जगन्नाथ धर्मपत्नी श्री मंगतराम, जाति जाट, निवासी–ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, हाल निवासी–ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. श्रीमती कमली देवी पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी श्री कल्याण सहाय, जाति जाट, निवासी–राज वाली ढाणी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चीथवाडी, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर।
2. रामकुंवार पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. नौसर पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी श्री रिछपाल, जाति जाट निवासी–ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान, हाल कार्यरत स्थल– सेकेट्रेड कार्यालय, चंडीगढ, हरियाणा।
6. नाना पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी श्री छीतर, जाति जाट निवासी–ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, हाल निवासी–पलसानियों की ढाणी, ग्राम धानोंता, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
7. गुल्ली पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी स्व0 औंकार, जाति जाट निवासी– ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, ग्राम कुशालगढ की ढाणी, पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान (नाऔलाद फौत)
8. साधुराम माता स्व0 संज्या पिता सुखाराम, जाति जाट, निवासी–भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
9. जयसिंह माता स्व0 संज्या पिता सुखाराम, जाति जाट, निवासी–भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
10. गंगा माता स्व0 संज्या पिता सुखाराम, जाति जाट, निवासी–भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
11. जमना माता स्व0 संज्या पिता सुखाराम, जाति जाट, निवासी–भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

12. रामपाल माता स्व0 संज्या पिता सुखाराम, जाति जाट, निवासी–भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स–

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 सरपंच ग्राम पंचायत चीथवाडी

निर्णय दिनांक 28.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 440 में वर्णित खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3113 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3118 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3127 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3128 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3129 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3139 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर व खाता सं. 392 में वर्णित खसरा नम्बर 3140 रकबा 0.33 हैक्टेयर स्थित हैं।

उक्त वर्णित आराजीयात् खाता सं. 440 सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 392 में हिस्सा 1/2 भाग स्व० जगन्नाथ वल्द चूना जाति जाट की खातेदारी थी। जगन्नाथ वल्द चूना जाति जाट का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। जो अवैधानिक रूप से खोला गया है। जिसमें जगन्नाथ वल्द चूना के समस्त वारिसान् को सुनवाई का अवसर दिये बिना फर्जी तरीके से नामान्तकरण खोला गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया/अपीलान्ट की ओर से निम्न सुदृढ आधारो पर संक्षेप में अपील/अपीलान्ट्स प्रस्तुत हैं:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 व उनकी माता रूकमणीदेवी के हक में तस्दीक किया गया नामान्तकरण सं. 153 दिनांक 24.10.2000 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. कानूनन प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में उक्त आराजीयात् में निहित प्रार्थी अपीलान्ट मृतक जगन्नाथ वल्द चूना की सम्पति व खातेदारी काश्त की भूमि में हिस्सा 1/10 भाग को छोडकर बाबत् तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं. 153 को दिनांक 24.10.2000 को निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

3. जगन्नाथ वल्द चूना का कुर्सीनामा निम्न प्रकार से है –

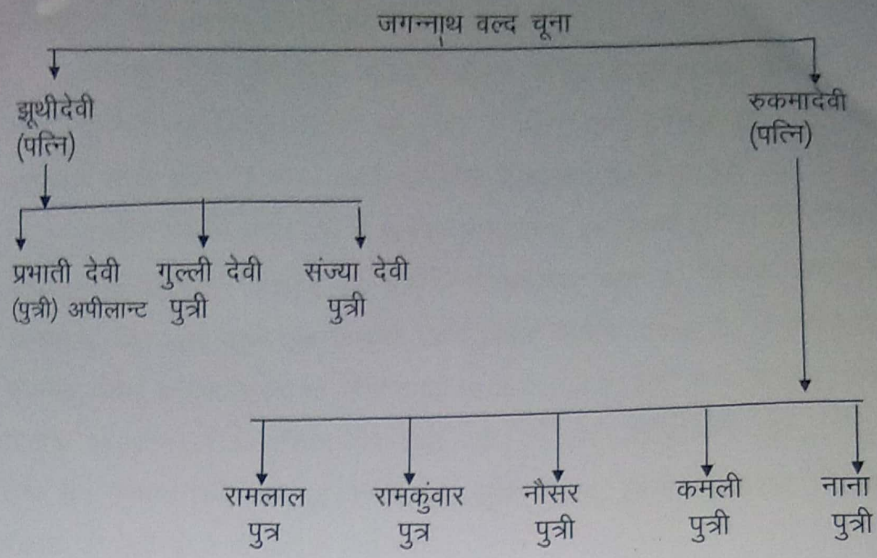

4. प्रार्थीया/अपीलान्ट की माता श्रीमती झूथीदेवी का विवाह जगन्नाथ के साथ हुआ था। जिसके तीन पुत्रीयां उपरोक्त कुर्सीनामें में वर्णितानुसार उत्पन्न हुई। जिसके पश्चात् रूकमादेवी जो कि पूर्व से ही शादीशुदा थी जिसको बतौर पत्नि के रूप में जगन्नाथ पुत्र चूना ने रख लिया, जिससे उपरोक्त कुर्सीनामें में वर्णितानुसार सन्तान उत्पन्न हुई, रूकमादेवी का पूर्व में विवाह गंगाराम पीपलोदा निवासी चीथवाडी के साथ हुआ था, जिसके रूकमादेवी के गंगाराम से चार सन्तान बद्री, मदन, सरजू, बंशी उत्पन्न हुये।

5. नामान्तकरण संख्या 153 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा तैयार किये गये कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भरा गया तथा उसी को आधार मानकर ग्राम पंचायत चीथवाडी द्वारा तस्दीक किया गया। जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट को सर्वप्रथम जगन्नाथ की विरासत में प्रार्थीया अपीलान्ट का नाम नही होने की जानकारी दिनांक 10.02.2013 को होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड की नकलो के लिए आवेदन किया, जिसके पश्चात् दिनांक 05.03.2013 को नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 की नकल प्राप्त होने पर स्पष्ट स्थिति जानकारी हुई। जिससे प्रार्थीया अपीलान्ट की अपील श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद कानून दिनांक 19.03.2013 प्रस्तुत की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् [illegible] निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत [illegible] ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर में स्थित आराजीयात् में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

दिया जाकर प्रार्थीया/अपीलान्ट के नाम स्व० श्री जगन्नाथ की विरासत के नामान्तकरण प्रार्थीया के नाम तस्दीक किया जावें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। शेष प्रत्यर्थीगण जरिये वकालतन उपस्थित है।

प्रार्थीया संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर प्रा0पत्र के संलग्न दस्तावेजात यथा 1. विकास अधिकारी द्वारा जगन्नाथ वल्द चुना कुर्सीनामा सम्बन्धी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.05.16। 2. जांच अधिकारी पंचायत प्रसार अधिकारी, प0स0 गोविन्दगढ 13.06.2016। 3. झूंथी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.06.2013। 4. परिचय पत्र झूंथी देवी। 5. वोटर लिस्ट वर्ष 1971, चौमूं विधान सभा क्षेत्र क0स0 784, 785। 6. शपथ पत्र, सुरेश कुमार, प्रभात, सुवालाल, गोपाल। को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थीया संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का पेश किया गया। जिसकी बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का स्वीकार किया गया।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का पेश हुआ। जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने जगन्नाथ के अन्य वारिसान को पक्षकार बनाने का निवेदन किया तथा आवश्यक पक्षकार न बनाने से अपील खारीज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गयी। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का खारीज किया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 6869/2018 का निर्णय दिनांक 24.09.2018 को पारीत उपरान्त पत्रावली में पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गई।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 5, 6, 8 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा उनवानी अपील में यह कथन किया हैं कि जगन्नाथ वल्द चूना जाति जाट का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24–10–2000 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया जो अवैधानिक रूप से खोला गया है, जिसमें जगन्नाथ वल्द चूना के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना फर्जी तरीके से नामान्तकरण खोला गया हैं जबकि प्रार्थीया/ अपीलान्ट जब नामान्तकरण खोला गया तब ग्राम पंचायत के [illegible] उपस्थित थी, तथा उसी दिन संज्या देवी का पति सुखराम, गुल्ली [illegible] लाल, रूकमा देवी, कमला देवी, नाना देवी, केसर देवी, सांधूराम पुत्र सुखराम उपस्थित थे तथा सभी ने रामकुमार, रामलाल, रूकमा देवी के नाम नामान्तकरण खोलने हेतु मौखिक सहमति दी थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24–10–2000 जगन्नाथ के समस्त वारिसान की उपस्थिति में तस्दीक किया गया था, जिसकी जानकारी शुरू से अपीलान्ट को रही हैं।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में कथन किया गया है कि अपीलान्ट को विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम नहीं होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10–2–2013 को हुई है, जबकि अपील दिनांक 19–03–2013 को प्रस्तुत की गई हैं जो मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं। अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब न देकर सिधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 5, 6, 8 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों को झूठा बताया गया। प्रार्थना पत्र व बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रा0 आपत्ति में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर बताई गई है। जबकि उक्त अपील का निस्तारण धारा 5 मियाद बाहर है या नही निर्णित कर ही किया जावेगा। जो अन्तिम बहस में ध्यान देने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का विधि सम्मत नही होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों को दोहराते हुए कहा कि यह नामांतरण शुरू से ही शून्य है अपीलान्ट ने किसी भी तरह अपनी सहमति उक्त नामान्तकरण के लिए नहीं दी थी। पंचायत द्वारा कोई नोटिस भी अपीलांट को नहीं दिया गया। प्रार्थी को जब नकल प्राप्त हुई तो उसके तुरंत बाद उसने अपील दायर कर दी इसलिए डिले को कंडोन किया जाए। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता 2 व 3 ने अपने अभिकथनों को दोहराते हुए आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि यह अपील मियाद से बाहर है इसलिए खारिज होने योग्य है साथ ही यह दावा हिंदू उत्तराधिकार नियम की धारा 6 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता 5, 6 व 8 ने कथन करते हुए कहा कि अपीलान्ट व उनके द्वारा नामांतकरण के लिये सहमति जताई गई थी। अतः उस नामंतकरण को खारीज करना उचित नहीं है।

दृष्टांतो का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के अभिमत में हस्तगत अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर [illegible] किया जाना आवश्यक है:–

1. क्या अपीलांट 1 व 2 जगन्नाथ [illegible] के हक [illegible] अधिकारी है?
2. क्या रेस्पोंडेट संख्या 1 व 2 ने नामान्तकरण के समय अपनी सहमति दी थी?
3. क्या यह अपील मियाद के अंतर्गत है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का इस केस पर क्या प्रभाव रहेगा?

बिंदु संख्या एक पर विचारण के पश्चात हम पाते हैं कि अभिलांट द्वारा अपील में सजरा खानदान प्रदर्शित कर स्वयं को जगन्नाथ के वारिश के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया है इस संबंध में पंचायत के द्वारा जांच में जारी सजरा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त सजरा खानदान पर रेस्पोंडेंट के द्वारा भी किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है अपीलांट ने अपने पक्ष में वोटर लिस्ट में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं इससे यह प्रतित होता है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 जगन्नाथ के है।

बिन्दु संख्या दो पर विचरण करने पर हम पाते है कि रेस्पोंडेंट संख्या 5, 6 व 8 ने अपनी प्रारम्भिक आपत्ति व बहस में कथन किया है कि अपीलांट को शुरू से ही नामांतकरण का पता था व असने अपनी मौखिक स्वीकृती भी दी थी। अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1 ने अपना पक्ष रखते हुए दस्तावेज पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बहस में यह बताया की नामांतकरण पर कही भी यह स्पष्ट नही है कि अपीलांट ने अपनी सहमति जाहिर करी हो या उसे शुरू से इस नामांतकरण का पता हों। अपना पक्ष रखते हुए उन्होने चार शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांट ने कभी भी नामान्तकरण के अपनी लिखित/रिकार्डेड सहमति नही दी है।

बिन्दु संख्या तीन पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि अपील नामांतकरण होने के लगभग 13 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट संख्या 1 का कथन है कि उक्त नामांतकरण उसकी अनुपस्थिति में स्वीकार किया गया। अपीलांट की जानकारी में दिनांक 10.02.2013 को आया व नकल दिनांक 05.03.2013 को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 पर विचार करने के पश्चात यह उचित प्रतीत होता है कि डिले कंडोन किए जाने या अस्वीकार करने से पूर्व न्यायालय को मेरिट के आधार पर यह भी विचार करना चाहिए कि डिले कंडोन को अस्वीकार करने का परिणाम यह भी हो सकता हैं कि कोई मेरिटोरियस मामला न्यायालय की दहलीज से ही बाहर हो जाए जबकि विलम्ब माफी स्वीकार करने पर अधिक से अधिक यह होगा कि यह मामला दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। आरआरडी 1998 अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम पूनमचंद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोहर बनाम शिवरान वर्ष 2012 में अभिनिर्धारित किया है कि:–

" A liberal approach is an adopted on principle as it is realised that there is no presumption that delay is occasioned deliberately, or on account of culpable negligence or on account of malafides. Litigant does not stand to benefit by restoring to delay infact he runs a serious risk. It must be grasped that judiciary is respected not on account of

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is epected to do so.

The expression 'sufficient cause' should therefore, be considered with pragmatism in justice oriented process approach rather than the technical detention of sufficient cause for explaining everyday days' delay.

Refusing to condone delay can result in meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a case would be decided on the merits after hearing the parties."

अपीलांट का प्रार्थना पत्र दफा 5 का उपयोग लायक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

बिंदु संख्या चार पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार नियम की धारा 6 पर निर्णय पारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वर्ष 2020 में कहा है कि:–

(1) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and

(2) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December,

(3) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

(4) The statutory fiction of partition created by proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class-I as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Not with standing that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.

(5) In view of the rigor of provisions of Explanation to Section 6(5) of the Act of 1956, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

We understand that on this question, suits/appeals are pending before different High Courts and subordinate courts. The matters have already been delayed due to legal imbroglio caused by conflicting decisions. The daughters can not be deprived of their right of equality conferred upon them by Section 6. Hence, we request that the pending matters be decided, as far as possible, within six weeks.

उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विचारण करने से यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय की मंशा यह है कि अगर किसी व्यक्ति की बेटी आज जीवित है तो यह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में जो संशोधन किया गया है वह रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी संतान का बाई बर्थ अपने पिता की संपत्ति में हक होगा चाहे पिता की मृत्यु हो गयी हो। यहां पर हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(1) व 6(5) पर विचरण करना भी जरूरी है जो की इस प्रकार है:–

6(1) Devolution of interest in coparcenary property. —On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005*, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener: Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

6(5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December, 2004. Explanation. For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or partition effected by a decree of a court.

उक्त धाराओं से यह स्पष्ट है कि अगर किसी संपति का registered partition या फिर testamentary disposition संशोधन से पूर्व हुआ हो तो यह संशोधन लागू नही होगा। अभिभाषकगण की बहस व उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वर्तमान केस में किसी प्रकार का disposition or alienation अभी तक नही किया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया/अपीलांट का हक अपने पिता की संपति में बाई बर्थ होना प्रतित होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर [illegible] में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलांट प्रभाती व [illegible] संपति में बाई बर्थ हिस्सा रहा है। अपील मियाद अन्तर्गत है व यह स्पष्ट है कि नामान्[illegible]ण के समय अपीलांट ने किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार की लिखित सहमति नही दी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आशय का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का अपील अवधि व्यतित होने के पश्चात 2 माह में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner